न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–136/2015–16 अन्तर्गत धारा–331 जमीं0वि0 एवं भूमि व्य0 अधिनियम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 ललिता प्रसाद

2. बिशन सिंह पुत्र स्व0 कल्लू उर्फ कलम सिंह

3. श्याम सिंह 4. राजू उर्फ रामनाथ पुत्रगण स्व0 बुधराम, समस्त निवासीगण 65–हाथीबड़कला, देहरादून।

बनाम

1.श्रीमती उषा देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी नागाधेर, ग्राम रानीपोखरी ग्रान्ट, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून।

2.उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून।

3.ग्राम सभा रानीपोखरी ग्रान्ट, तहसील ऋषिकेश द्वारा ग्राम प्रधान

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण : श्री पी0के0 गर्ग।

अधिवक्ता उत्तरदात्री संख्या–01 : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

निर्णय

यह द्वितीय अपील अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या–03/2012–13 बिशन सिंह आदि बनाम श्रीमती उषा देवी आदि में पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 26–11–2015 एवं सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा वाद संख्या–62/2003–04 श्रीमती उषा देवी बनाम बिशन सिंह आदि में पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 18–12–2006 के विरूद्व योजित की गई है।

इस द्वितीय अपील का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है कि :–

उत्तरदात्री संख्या–01/वादिनी द्वारा वादग्रस्त भूमि मौजा रानीपोखरी ग्रान्ट के खाता संख्या–65 फसली वर्ष 1410 से 1415 के खसरा संख्या–88ग रकबा 0.010 है0, खसरा नम्बर 89ख रकबा 0.0050 है0, ,खसरा नम्बर 184ख रकगा 0.1830 है0 कुल रकबा 0.1980 है0 पर प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर भूमिधरी अधिकारों की घोषणा का एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी,

ऋषिकेश के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपीलार्थी संख्या–02 से 04/प्रतिवादीगण द्वारा अपना जबावदावा दिनांक 29–10–2004 को प्रस्तुत किया गया जिसके पश्चात वे अनुपस्थित रहे। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, ऋषिकेश द्वारा वाद में 03 वाद बिन्दु सृजित करते हुए उत्तरदात्री संख्या–01 का वाद निर्णयादेश दिनांक 18–12–2006 से आज्ञप्त किया गया। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, ऋषिकेश के निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 18–12–2006 के विरूद्व अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी के समक्ष दिनांक 24–03–2008 को प्रथम अपील धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत एक विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र सहित योजित की गई। पक्षों की सुनवाई के उपरान्त विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा निर्णयादेश दिनांक 26–11–2015 से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए अपील सुनवाई के स्तर पर ही निरस्त की गई। विद्वान अपर आयुक्त के निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 26–11–2015 के विरूद्व यह द्वितीय अपील अपीलार्थीगण द्वारा योजित की गई है।

इस द्वितीय अपील के निस्तारण हेतु निम्न विधि के सारवान प्रश्न स्थिर किये गये :–

1– क्या आलोच्य वाद में असंयोजन का दोष है? यदि हाँ तो प्रभाव।

2– क्या आलोच्य वाद मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध आज्ञप्त किया गया है? यदि हाँ तो प्रभाव।

3– क्या वाद किसी विधि से बाधित है?

4– क्या अवर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्तियां किसी तात्विक एवं विधिक अनियमितता से ग्रसित है?

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं संगत पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आलोच्य वाद से सम्बन्धित इतिहास को दोहराते हुए तर्क किया है कि प्रथम अपील आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा ग्रहण कर ही अपर आयुक्त को सुनवाई हेतु प्रेषित की गई थी, तद्नुसार आयुक्त गढ़वाल मण्डल के अपील ग्रहण करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 27–08–2008 अंतिम है, प्रथम अपील एकपक्षीय रूप से निर्णीत होने के उपरान्त उत्तरदात्री/वादिनी द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र भी विलम्बित था जिसे रू0 500/– के हर्जाने सहित स्वीकार किया गया, कि मूल वाद दो मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध योजित किया गया था क्योंकि वादग्रस्त भूमि में पांच व्यक्ति अभिलिखित भूमिधर हैं एवं उत्तरदात्री/वादिनी भी पारिवारिक सदस्य हैं, तद्नुसार वाद असंयोजन के दोष से बाधित था, कि अपीलकर्तागण को वादग्रस्त भूमि की खतौनी लेने पर ही वाद आज्ञप्त होने का संज्ञान हुआ एवं उनके द्वारा कोई प्रतिवाद पत्र नही प्रस्तुत किया गया, कि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने के आधार पर मूल भूमिधरों/अपीलकर्तागण को सुनवाई के नैसर्गिक न्याय के एवं विधिक अधिकार से वंचित नही किया जा सकता एवं उनके सारभूत हितों (substantive

rights) को तदर्थ एवं सूक्ष्म विधि से तिलांजलि नही दी जा सकती है एवं कि उत्तदात्री/वादिनी का कथित प्रतिकूल अध्यासन वादग्रस्त भूमि पर न तो है, न विधिवत अभिलिखित एवं साक्ष्य से सिद्ध है।

उत्तरदात्री/वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्तागण /प्रतिवादीगण द्वारा न केवल प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है अपितु उनकी ओर से दो वकानतनामे भी प्रस्तुत हुए हैं, कि धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये बिना प्रथम अपील ग्रहण किया जाना विधितः उचित नही था इसलिए उत्तरदात्री/वादिनी द्वारा इस सम्बन्ध में ज्ञान होने के तत्काल पश्चात आपत्ति की गई एवं आक्षेपित निर्णय व आज्ञप्तियां किसी तात्विक एवं विधिक अनियमितता से ग्रसित नही है।

प्रथम अपील विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने दिनांक 27–08–2008 को सुनवाई हेतु ग्रहण की तथा उसे अग्रेत्तर सुनवाई हेतु अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के न्यायालय को स्थानान्तरित किया। तत्पश्चात उत्तरदात्री/वादिनी उषा देवी को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा गया जो इस टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हुआ कि "प्राप्तकर्ता लेने से इंकार कर रही है।" इसके पश्चात दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण के 09 जुलाई, 2010 के अंक में प्रकाशन के माध्यम से नोटिस तामील कराया गया। बावजूद इसके उषा देवी/वादिनी अपर आयुक्त के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। तत्पश्चात विद्वान अपर आयुक्त ने निर्णयादेश दिनांक 18–04–2012 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि अपीलकर्तागण/उत्तरदातागण को साक्ष्य का अवसर प्रदान कर ही वाद का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाय जिसके विरूद्ध उषा देवी द्वारा 08–01–2012 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि कालाबाधित था जिसके साथ प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही आदेश दिनांक 08–11–2012 से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील पुनर्स्थापित की गई तथा पुनः 27–05–2015 को इस पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के उपरान्त इसे रू0 500/– हर्जाने पर स्वीकार किया गया लेकिन इस आदेश में भी पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई विवेचन एवं मंतव्य अंकित नही किया गया तथा अन्ततः प्रथम अपील को कालबाधित मानते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 26–11–2015 से अपील निरस्त की गई। यह आशय लगाया जा सकता है कि इस सम्बन्ध में प्रस्तुत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र न्याय का मार्ग प्रशस्त करने की दृष्टि से स्वीकार किया गया।

यह स्वीकार्य तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि के अपीलकर्तागण संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अभिलेखों में दर्ज है तथा उनके विरूद्ध पारित डिक्री व आज्ञप्ति बिना उनके साक्ष्य व सुनवाई के पारित की गई है। यह सही है कि प्रतिवादी संख्या–1 से 3/अपीलार्थीगण द्वारा अपना जवाबदावा दिनांक 29–10–2004 को अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया लेकिन तत्पश्चात वे विचारण न्यायालय में उपस्थित नही हुए। स्वाभाविक है कि विचारण न्यायालय में

उनके उपस्थित न होने के फलस्वरूप उन्हें निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 18–12–2006 की जानकारी समय पर नही हुई हो तद्नुसार उनका प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र जिसमें उन्होंने अपील की चरण संख्या–1 से 18 को शपथ पत्र से पुष्ट किया है के चरण संख्या–14 में उल्लिखित तथ्य कि उन्हें विचारण न्यायालय के निर्णय व आज्ञप्ति का ज्ञान 23–01–2008 को हुआ जब वे जमीन फर्द लेने तहसील, ऋषिकेश गये विश्वसनीय है। परन्तु यह भी सही है कि अपीलकर्तागण/प्रतिवादीगण ने प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त वाद की कार्यवाही में कोई प्रतिभाग नही किया गया फलस्वरूप वाद एकपक्षीय रूप से आज्ञप्त हुआ। प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने में मूल वाद के निर्णय एवं आज्ञप्ति का विलम्ब से ज्ञान होना स्वाभाविक होने से प्रथम अपील विलम्ब से किया जाना तो विश्वसनीय है परन्तु मूल वाद में उनके द्वारा ससमय प्रतिभाग न किया जाना स्पष्ट नही किया गया है फिर भी इस स्थिति में भी अपीलकर्तागण/प्रतिवादीगण के वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित भूमिधर होने के दृष्टिगत उनके प्रति एक उदार दृष्टिकोण अपनाकर उनकी अपील ग्रहण कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में होता भले ही विद्वान अपर आयुक्त इस हेतु उत्तरदात्री को मौद्रिक क्षतिपूर्ति कराते। प्रथम अपील प्रस्तुत करने में लगभग 14 माह का विलम्ब हुआ है। अपीलकर्तागण असावधानी एवं लापरवाही भी की है। परन्तु चूंकि अपीलकर्तागण भूमिधर दर्ज अभिलेख हैं अतः नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत उन्हें किसी स्तर पर तो अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया ही जाना चाहिए। ऐसा न्यायहित में तो आवश्यक है ही परन्तु इसलिए भी आवश्यक है कि विद्वान अपर आयुक्त ने आक्षेपित निर्णय व आज्ञप्ति पारित करने से पूर्व उत्तरदात्री/वादिनी के द्वारा प्रथम अपील पुनर्स्थापन पत्र, जो विलम्बित था, भी स्वीकार किया है तद्नुसार समता की दृष्टि से भी अपील ग्रहण करने में हुए विलम्ब का मर्षण भी किया ही जाना चाहिए था।

तद्नुसार यह द्वितीय अपील मात्र न्याय की दृष्टि से ही स्वीकारणीय है तथा आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति अपास्त होने योग्य है एवं प्रथम अपील के साथ प्रस्तुत अपीलकर्तागण का धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मौद्रिक क्षतिपूर्ति के साथ स्वीकार योग्य है तथा प्रथम अपील गुण दोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रति प्रेषण योग्य है।

उक्त के दृष्टिगत विधि का सारवान प्रश्न संख्या–4 सकारात्मक विनिश्चित करते हुए शेष विधि के सारवान प्रश्नों एवं पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किये गये गुण दोष सम्बन्धी तर्कों पर अभी विवेचन व विश्लेषण करना समीचीन नही है। पक्षकार गुण दोष सम्बन्धी तर्क प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश।

द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 26–11–2015 अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण का प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपीलकर्तागण द्वारा रू0 5000/– से उत्तरदात्री

को क्षतिपूर्ति किये जाने पर स्वीकार कर प्रथम अपील ग्रहण कर उसे विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, कैम्प देहरादून को इस आशय से प्रति प्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही अपील का गुण दोष के आधार पर निस्तारण करें। पक्षकार दिनांक 14–03–2018 को प्रथम अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हों तब तक वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति बनी रहेगी। अवर न्यायालय के पत्रावलियां प्रथम अपीलीय न्यायालय को भेजी जाय। इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **19–02–2018** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)